P: ISSN No. 2231-0045 RNI No. UPBIL/2012/55438 VOL.-III, ISSUE-III, February-2015
E: ISSN No. 2349-9435
Periodic Research

बून्दी जिले के डाबी–बुधपुरा क्षेत्र में खनन का सामाजिक–आर्थिक पर्यावरण पर प्रभाव

नाथूलाल खिंची
शोध छात्र,
भूगोल विभाग,
कोटा विश्वविद्यालय,
कोटा

सारांश

खनन के द्वारा लोगों के सामाजिक–आर्थिक पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों का अध्ययन महत्वपूर्ण है। खनन क्षेत्रों में कार्य करने वाले मजदूरों तथा निवास करने वाले लोगों का जीवन स्तर निम्न–स्तर का पाया जाता है। स्थानीय निवासी आर्थिक रूप से कमजोर व सामाजिक रूप से पीड़ित अवस्थाओं में निवास करते हैं। इन लोगों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए प्रबन्धन किया जाना चाहिए एवं इनसे सम्बन्धित योजनाओं को लागू किया जाना चाहिए। अतः समाज के सामाजिक–आर्थिक दृष्टि से वंचित उपेक्षित उपवर्गों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए शोध किया जाना आवश्यक है।

मुख्य शब्दः खनन क्रिया से सामाजिक–आर्थिक पर्यावरण, उपेक्षित वर्ग, निम्नजीवन–स्तर, प्रदूषण, रोग व सामाजिक बुराइयाँ की उत्पत्ति की पहचान और सामाजिक–आर्थिक उत्थान व योजनाओं का क्रियान्वयन।

प्रस्तावना

शोध क्षेत्र का सीमांकन

बून्दी जिला अनियमित समलम्ब चतुर्भुज आकार में राजस्थान के दक्षिण–पूर्वी भाग में अवस्थित है। जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 5850.5 वर्ग किमी है। इसके दक्षिण–पश्चिम क्षेत्र में विस्तृत बरड क्षेत्र 25°04′19.19′′ उत्तरी अक्षांश से 25°09′33.59′′ उत्तरी अक्षांश तक तथा 75°26′26.63′′ पूर्वी देशान्तर से 75°38′27.26′′ पूर्वी देशान्तर तक विस्तृत है। पूर्वी सीमा पर चम्बल नदी की प्राकृत सीमा व कोटा जिले की लाडपुरा तहसील है। पश्चिमी सीमा भीलवाड़ा जिले की बिजोलिया तहसील की आरोली–सलावटिया खनन क्षेत्र सीमा से सटी हुई है। दक्षिण में चित्तौड़गढ़ जिले की रावतभाटा तहसील और उत्तर में बून्दी जिले की हिण्डोली तहसील है। यह भाग तालेड़ा तहसील की डाबी उपतहसील का भाग है और सेन्डस्टोन खनन के लिए विख्यात है। डाबी–बुधपुरा प्रमुख खनिज क्षेत्र है। इसके आस–पास 2 किमी. से 25 किमी की दूरी तक खनन क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित किया गया है। डाबी उप तहसील बून्दी जिला मुख्यालय से लगभग 73 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इनमें डाबी–बुधपुरा, धनेश्वर–पटाना, सूतड़ा, गोपालपुरा खनन क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–76 (वर्तमान संख्या 27) पर स्थित है।

शोध उद्देश्य व विधितंत्र

उद्देश्य

डाबी–बुधपुरा प्रमुख खनिज क्षेत्र में खनन के द्वारा लोगों के सामाजिक–आर्थिक पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों के इस अध्ययन के निम्न उद्देश्य हैं –

1. बून्दी जिले के डाबी–बुधपुरा क्षेत्र में खनन क्रिया से स्थानीय निवासियों पर प्रभाव एवं स्थानिक सामाजिक आर्थिक समस्याओं का व्यापक अध्ययन एवं विश्लेषण करना।
2. खनन क्षेत्र में विभिन्न समस्याओं का अध्ययन, सुझाव व निष्कर्ष प्रस्तुत करना।

P: ISSN No. 2231-0045 RNI No. UPBIL/2012/55438 VOL.-III, ISSUE-III, February-2015
E: ISSN No. 2349-9435

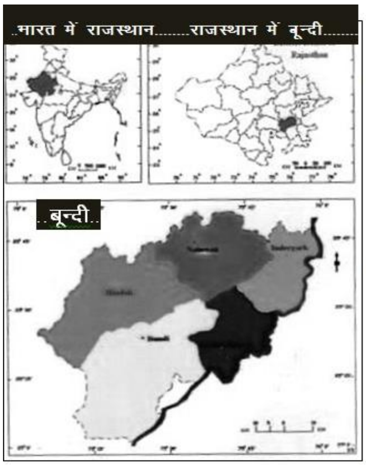

मानचित्र : डाबी–बुधपुरा खनन क्षेत्रों की अवस्थिति

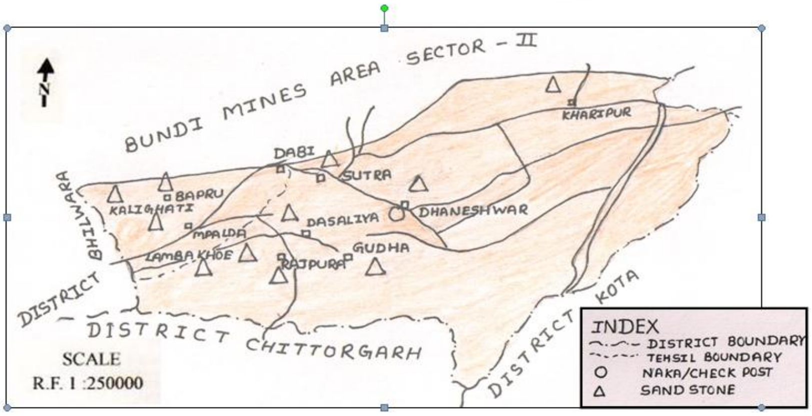

परिकल्पनाएँ

डाबी–बुधपुरा प्रमुख खनिज क्षेत्र में खनन के द्वारा लोगों के सामाजिक–आर्थिक पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों के इस शोध अध्ययन की निम्न परिकल्पनाएँ हैं –

1. खनन क्षेत्र में आर्थिक–सामाजिक विकास पिछड़ा हुआ है तथा मूलभूत सुविधाओं का अभाव है।
2. खनन क्षेत्र में केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा संचालित योजनाओं का लोगों को लाभ नहीं मिल रहा।
3. खनन क्षेत्र में मजदूर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं।

विधितन्त्र

खनन के द्वारा लोगों के सामाजिक–आर्थिक पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों से समाज के सामाजिक–आर्थिक दृष्टि से वंचित उपेक्षित उपवर्गों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए किये गये सामाजिक–आर्थिक पर्यावरण पर प्रभाव के शोध अध्ययन के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक आँकड़ों का संग्रह कर तालिका, ग्राफ एवं मानचित्रों के निर्माण द्वारा विश्लेषण किया गया है। अध्ययन क्षेत्र में प्राथमिक आँकड़ों के संग्रह के लिए एक साक्षात्कार अनुसूची बनाकर 100 व्यक्तियों पर यादृच्छिक विधि के द्वारा सर्वे किया गया और सारणीकरण करके उनका विश्लेषण व मूल्यांकन किया गया है। इसमें चुने हुये लोगों व उनके परिवार से प्रश्नोत्तरी भरवाई गई। द्वितीयक आँकड़ों के लिए पत्र–पत्रिकाओं व पुस्तकों के आँकड़ों को सम्मिलित किया गया है।

खनन क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं की स्थिति

डाबी–बुधपुरा खनन क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं के प्रारूप का अध्ययन करने के लिए क्षेत्र में साक्षात्कार अनुसूची के अलग–अलग स्थानों पर 100 व्यक्तियों पर यादृच्छिक विधि से सर्वे किया गया है। तालिका संख्या–1 में आवश्यक नागरिक सुविधाओं को सम्मिलित किया गया है। इसके अन्तर्गत 9 प्रकार की सुविधाओं को सम्मिलित किया गया है। तालिका संख्या 1 से प्राप्त परिणामों के अनुसार अध्ययन क्षेत्र में 53 लोगों के पास पेयजल व्यवस्था सुविधा उपलब्ध है, जबकि 47 लोगों के पास व्यवस्था नहीं है। विद्युत की उपलब्धता 85 लोगों के पास है, जबकि 15 लोगों के पास इसकी उपलब्धता बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर शौचालय की सुविधा केवल 39 लोगों के पास है, जबकि 61 लोगों के पास इस सुविधा का अभाव पाया गया है। हॉस्पिटल की सुविधा 42 लोगों के पास उपलब्ध है, जबकि यह सुविधा 58 लोगों के पास उपलब्ध नहीं है। शिक्षा की सुविधा 37 लोगों के पास उपलब्ध है, जबकि 63 लोगों के पास यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। मनोरंजन के साधनों की सुविधा (कई प्रकार के मनोरंजन के साधनों को सम्मिलित किया गया है) 98 लोगों के पास देखने को मिली है, जबकि 02 व्यक्तियों के पास किसी भी प्रकार के मनोरंजन के साधन उपलब्ध नहीं थे। 75 व्यक्तियों के पास स्वयं का मकान उपलब्ध है, जबकि 25 व्यक्ति किराये से निवास कर रहे हैं। यहाँ पर 56 व्यक्तियों के पास पक्का मकान उपलब्ध है, जबकि 44 व्यक्तियों के पास कच्चे मकान उपलब्ध हैं। खनन क्षेत्रों में कार्य करने वाले मजदूरों को समय पर वेतन प्राप्ति की सुविधा 40 लोगों के पास और 60 लोंगों के पास सुविधा उपलब्ध नहीं है। इन्हें समय पर वेतन उपलब्ध नहीं हो पाता है।

तालिका संख्या 1. डाबी–बुधपुरा खनन क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं का प्रारूप

Sr. No.	Facilities	No. of Families		Total
		With Facilities	Without Facilities	
1	Pure Drinking Water	53	47	100
2	Electricity	85	15	100
3	Latrine/Urine	39	61	100
4	Hospital	42	58	100
5	Education	37	63	100
6	Entertainment Source	98	02	100
7	House Owners	75	25	100
8	House type	56	44	100
9	Payment cash to timing	40	60	100

स्रोत : शोधार्थी के द्वारा प्राप्त प्राथमिक सर्वे के आधार पर मूल्यांकन

P: ISSN No. 2231-0045 RNI No. UPBIL/2012/55438 VOL.-III, ISSUE-III, February-2015
E: ISSN No. 2349-9435
Periodic Research

आरेख संख्या 1.डाबी–बुधपुरा खनन क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं का प्रारूप

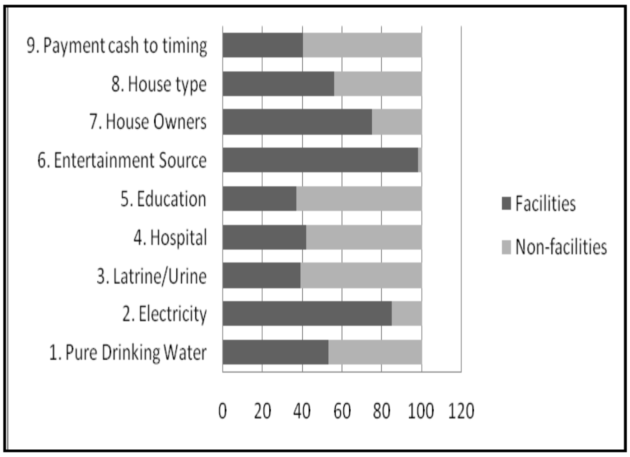

No. of Families

स्रोत : शोधार्थी के द्वारा प्राप्त प्राथमिक सर्वे के आधार पर निर्मित तालिका–01 पर आधारित

डाबी–बुधपुरा खनन क्षेत्र में 53 प्रतिशत लोगों के पास शुद्ध पेयजल 85 प्रतिशत लोगों के पास विद्युत की उपलब्धता, 39 प्रतिशत लोगों के पास शौचालय उपलब्ध है, 42 प्रतिशत लोगों के पास अस्पताल की उपलब्धता है, 37 प्रतिशत लोगों के पास शिक्षा की उपलब्धता है, 98 प्रतिशत लोगों के पास मनोरंजन के साधनों के स्रोत उपलब्ध है। 40 प्रतिशत लोगों को समय पर वेतन प्राप्त हो जाता है। 47 प्रतिशत लोगों के पास शुद्ध पेयजल, की उपलब्धता की कमी है। 15 प्रतिशत लोगों के पास विद्युत की उपलब्धता नहीं है, 61 प्रतिशत लोगों के पास शौचालय उपलब्ध नहीं है। 58 प्रतिशत लोगों के पास अस्पताल की सुविधायें मौजूद नहीं हैं। 63 प्रतिशत लोगों के पास शिक्षा की उपलब्धता नहीं है। 02 प्रतिशत लोगों के पास मनोरंजन के साधनों का अभाव, 25 प्रतिशत लोगों के पास स्वयं के मकान की उपलब्धता नहीं है। 44 प्रतिशत लोगों के पास कच्चे मकान उपलब्ध हैं। 60 प्रतिशत लोगों को समय पर वेतन का भुगतान नहीं मिलता है।

डाबी–बुधपुरा में खनन क्षेत्र में परिवारों की मासिक आय का विश्लेषण

तालिका संख्या 02 में प्राथमिक आँकडों के आधार पर डाबी–बुधपुरा खनन क्षेत्र में, परिवारों की मासिक आय के विवरण में आय को चार वर्गों में रखा गया है – 0 से 2000 रुपये तक, 2001 से 10,000 रुपये तक, 10001 से 25,000 रुपये तक, 25001 से 50,000 रुपये तक की आय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

तालिका संख्या 2. डाबी–बुधपुरा खनन क्षेत्र में परिवार की मासिक आय का प्रारूप

क्र. सं.	आय का विवरण (रुपये में)	परिवार संख्या	कार्य का प्रकार
1.	0 > 2000	11	निम्न मजदूर
2.	2001 > 10,000	64	मजदूर
3.	10,001 > 25,000	15	सुपरवाइजर, तकनीशियन, ऑपरेटर
4.	25,001 > 50,000	10	ठेकेदार, प्रबन्धक
कुल		100	

स्रोत : शोधार्थी के द्वारा प्राप्त प्राथमिक सर्वे के आधार पर मूल्यांकन

आरेख संख्या 2. डाबी–बुधपुरा खनन क्षेत्र में परिवारों की मासिक आय का प्रारूप

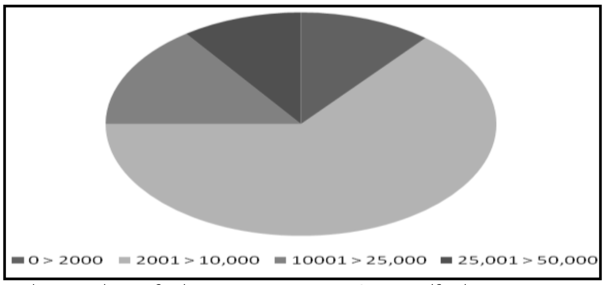

स्रोत : शोधार्थी के द्वारा प्राप्त प्राथमिक सर्वे के आधार पर निर्मित तालिका–02 पर आधारित

तालिका संख्या 2 से प्राप्त परिणामों के अनुसार अध्ययन क्षेत्र में किये गये सर्वे में परिवार की मासिक आय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसमें 0>2000 रुपये तक आय को निम्न मजदूर, 2001>10,000 रुपये तक मजदूर, 10,001>25,000 रुपये तक सुपरवाइजर/तकनीशियन/ऑपरेटर, 25,001>50,000 रुपये तक आय वाले ठेकेदार/प्रबंधक वर्ग में दर्शाया गया है। 0>2000 रुपये आय तक 11 व्यक्ति हैं जो निम्न मजदूर हैं। 2001>10,000 रुपये आय तक 64 व्यक्ति हैं जो मजदूर प्रकार के हैं। 10,001>25,000 रुपये तक 15 व्यक्ति हैं जो सुपरवाइजर, तकनीशियन, ऑपरेटर वर्ग के हैं। 25001>50,000 रुपये आय तक के व्यक्ति ठेकेदार/प्रबंधक वर्ग में सम्मिलित हैं।

मासिक आय प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा समूह 2001>10,000 रुपये तक मजदूर वर्ग का है, इसमें 64 लोग हैं। 0>2000 रुपये तक आय वर्ग वाले निम्न मजदूर लोग हैं। अर्थात 0>10,000 रुपये तक मासिक आय प्राप्त करने वाले 75 लोग हैं। 75 प्रतिशत लोग मजदूर वर्ग के हैं। 10,001>25,000 रुपये तक आय वर्ग मे सुपरवाइजर, तकनीशियन, ऑपरेटर सम्मिलित किये गये हैं। 25,001>50,000 रुपये तक आय वर्ग में ठेकेदार, प्रबन्धक वर्ग के लोग सम्मिलित किये गये हैं। 10,001>50,000 रुपये तक आय वर्ग में 25 प्रतिशत लोग आते हैं। यहाँ से प्राप्त आय का बड़ा हिस्सा इन्हीं लोगों के पास जाता है। जबकि 75 प्रतिशत मजदूर वर्ग के पास अधिक मेहनत करने के बावजूद यहाँ से प्राप्त पूंजी का बहुत कम हिस्सा प्राप्त होता है।

तालिका संख्या 02 के अनुसार इसके लिए एक वृत्तारेख का निर्माण किया गया है। इस वृत्तारेख में सबसे बड़ा समूह मजदूर वर्ग और निम्न मजदूर वर्ग का है। 360° में से ($230.4^{\circ}+39.6^{\circ} = 270^{\circ}$) 270° का भाग केवल इन दोनों वर्ग का है, जबकि 90° का भाग

सुपरवाइजर, तकनीशियन, ऑपरेटर, ठेकेदारों, प्रबन्धक वर्ग के लोगों को दर्शाता है।

अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ से पूंजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल मध्यम व अमीर वर्ग ही प्राप्त कर रहा है। जबकि मेहनतकश मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इनके जीवन में सुधार देखने को नहीं मिलता है।

डाबी–बुधपुरा में खनन क्रियाओं का स्थानीय निवासियों पर प्रभाव व अन्य समस्यायें

डाबी बुधपुरा खनन क्रियाओं के द्वारा स्थानीय निवासियों पर प्रभाव देखने को मिल रहा है तथा इनसे कई प्रकार की समस्यायें उत्पन्न हो गईं। यहाँ पर प्रमुख प्रभाव और समस्याओ को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है –

1. निर्धन एवं मजदूर वर्ग की आय का निम्न स्तर है। उसमें ज्यादा सुधार नहीं हो पाया है। आर्थिक विपन्नता के कारण अधिक अवसरों का लाभ न मिल पा रहा है।
2. खनन के अलावा अन्य कोई रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हैं।
3. शिक्षा व साक्षरता की कमी का होना।
4. डाबी बुधपुरा सम्पूर्ण खनन क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओ– शुद्ध पेयजल, विद्युत, शौचालय, अस्पताल, शिक्षा, स्वयं का मकान न होना, पक्के मकान न होना, समय पर वेतन नहीं मिल पाना इत्यादि का अभाव देखने को मिला है।
5. खनन के कारण होने वाले पर्यावरण प्रदूषण से जनजीवन प्रदूषित हो रहा है।
6. क्षेत्र में खनन के कारण मानव स्वास्थ्य पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से बुरा असर पड़ा है। यहाँ पर टी.बी., सिलिकोसिस जैसी गम्भीर बीमारियों से लोग पीड़ित मिले हैं।
7. वर्तमान में भी बाल मजदूरी पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुई है।
8. क्षेत्र में सामाजिक बुराइयां व्याप्त हैं। दिन–प्रतिदिन लोग इसमें लिप्त होते जा रहे हैं।

खनन क्षेत्र में उपस्थित समस्याओं के निराकरण हेतु वर्तमान प्रयास

डाबी बुधपुरा खनन क्षेत्र में विद्यमान समस्याओं के समाधान के लिए वर्तमान प्रयास जारी हैं –

1. मजदूर वर्ग को वेतन वृद्धि और दूसरे लाभ अधिक दिलाने के प्रयास किये जा रहे हैं।
2. खनन के अलावा छोटे–छोटे लघु स्टोन कटिंग, क्रेशर, दुग्ध उद्योग इत्यादि खुलने, रोजगार के अन्य अवसर भी दिखाई देने लगे हैं।
3. राज्य सरकार द्वारा हाल ही में एक आदेश के द्वारा प्रत्येक 1 से 3 किलोमीटर के क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने से शिक्षा व साक्षरता में सुधार के प्रयास किये जा रहे हैं।
4. आधारभूत सुविधाओं के लिए स्थानीय निवासियों तथा सरकार द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं।
5. खनन प्रभावित पर्यावरण प्रदूषण क्षेत्र में खनन मालिक व सरकार द्वारा वृक्षारोपण करवाया जा रहा है।
6. गम्भीर रोगों के लिए जिले व सम्भाग स्तर पर सरकार द्वारा चिकित्सा बोर्ड गठित किया गया है। टी.बी., सिलिकोसिस रोगों से सम्बन्धित रोगियों की जाँच हेतु आवश्यक उपकरण खरीदे गये हैं।

सुझाव एवं निष्कर्ष

डाबी बुधपुरा खनन क्षेत्र में व्याप्त अनेक समस्याओं के समाधान के लिए कुछ सुझाव प्रस्तुत हैं –

1. खनन विभाग द्वारा समय–समय पर खनन क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया जाना चाहिए और खनन मजदूरों के लिए उपलब्ध संसाधनों, उनकी जीवन शैली, समय पर वेतन भुगतान के लिए सरकार की निगरानी में एक समिति बनाकर समय पर वेतन दिलवाना और वेतन ई–बैंकिंग के द्वारा उपलब्ध हो। नकद वेतन देना बन्द कर देना चाहिए।
2. यहाँ पर शुद्ध पेयजल के लिए कोटा अकेलगढ़ से डाबी–बुधपुरा क्षेत्र तक या कोटा डेम से डाबी–बुधपुरा के लिए एक पाइपलाइन डाली जा सकती है। इससे इन लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सकता है।
3. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए सरकार के द्वारा विद्युत उपलब्ध करायी जानी चाहिए।
4. केन्द्र व राज्य सरकार के द्वारा संचालित 'स्वच्छ भारत अभियान' के तहत चलाई जाने वाली योजना का यहाँ पर सही प्रकार से क्रियान्वयन करके लोगों को इसका लाभ उपलब्ध करवाया जा सकते हैं और इस समस्या से मुक्ति दिलवाई जा सकती है।
5. कम से कम दूरी पर लोगों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य और शिक्षा को उपलब्ध करवाया जा सकता है। खनन क्षेत्रों के मजदूरों के लिए चलायमान विद्यालय व चिकित्सा इकाई उपलब्ध कराये जा सकते हैं।
6. लोगों के मनोरंजन के लिए अधिक से अधिक साधनों को सृजित किया जाना चाहिए। तथा अलग–अलग प्रकार के मनोरंजन के साधनों से सरोकार कराना चाहिए।
7. यहाँ पर इन्दिरा आवास योजना एवं मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना के अन्तर्गत लोगों को स्वयं के मकान एवं पक्के निर्मित मकान उपलब्ध करवाया जाना चाहिये।
8. निम्न मजदूर व मजदूर वर्ग की दैनिक मजदूरी को बढ़ाया जाना चाहिए। इस वर्ग के लोगों की खनन क्षेत्र में सहभागिता को बढ़ाया जा सकता है तथा पूंजी का एक निश्चित हिस्सा इन लोगों के लिए खर्च किया जाना चाहिए। इससे उच्च आय वर्ग व निम्न आय वर्ग के अन्तर को कम किया जा सकता है।
9. खनन मजदूरों के सामाजिक–आर्थिक कल्याण के लिए आगामी खनन नीति में इसका समावेश करना चाहिए।मजदूरों के हितों व अधिकारों व उनकी पर्याप्त सुरक्षा को इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए।

अतः सभी समस्याओं को पहचान कर चरणबद्ध तरीके से इन समस्याओं में सुधार करके डाबी बुधपुरा खनन क्षेत्र में लोगों के जीवन–स्तर में निश्चित रूप से परिवर्तन लाया जा सकता है।

सन्दर्भ सूची

1. Kalwar, Suganchand & Nand Kishore (1992), "Social-Economic Geography, Painter Pub., Jaipur.
2. Knowles, R&J Warding, "Social-Economic Geography", Heinemann.
3. Madhvan, P & Sanjay Rajan (2005), "Budhpura Ground Zero – Sand Stone quarrying in India".
4. Mining plains of Bundi district, Bundi Mining Department.
5. Khichee, N.L. (2009), "Impact of mining on Environment (A case study of Dabi-Budhpura mining area of Bundi district) – Research Management.
6. दैनिक भास्कर – 13 नवम्बर 2014 व 4 दिसम्बर 2014 के अंक
7. राजस्थान पत्रिका – 1 दिसम्बर से 16 दिसम्बर 2014 के अंक
8. Rajasthan District Gazetteer – Bundi district.
9. Distict Census Handbook – Bundi district 2001, Director of Census Operations, Rajasthan, Jaipur